

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या: प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

:- संयोजक जय :-

आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मिकों काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु बिनाशा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4051-BANARA'S INSTITUTE OF PHARMACY,NIBAH,BABATPUR,VARANASI-221204

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विनयों एवं अटेंशनों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजीए पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30450.00/- प्रतिवर्ष, छठे वर्षीय कार्मिकों पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा छठे वर्षीय पाठ्यक्रमों (छठे वर्षीय कार्मिकों पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाते वारी धारणदेश पत्रावली होगी, और नवसूचना कार्यक्रमों किये जाने आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा नदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों के विफल रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विरोध शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनावे गये विधिनिर्णयों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशक प्राविधिक शिक्षा, उपरोक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा बनावे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि भी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इन संबंध में संसक्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध टकरा किया जाता है तथा उत्तर उच्च के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संपत्ति आदेश विरोध किया जाता है तो संसक्त प्रतिकूल संपत्ति संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु सचिवालय परामर्श होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (सचिवालय) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश। अनुमति नहीं पटान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निरीत नवीनतम आदेशों/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने डेबिट/क्रेडिट पर संस्था की संसक्त सृजनण उसे संस्था की पेशिवासिक पृष्ठ धूमि, स्टॉक, सज्ज, सज्ज, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला भुक्त, प्रत्येक शुल्क भुक्त भुक्त का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण,पेशिवास हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिड रीजने के सम्बन्ध में संसक्त आवश्यक समस्त मुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह मुनिश्चित ही ले कि संस्था में प्रत्येक संचालित पाठ्यक्रम को बचाने करने हेतु निरीक्षण समिति के संसक्त उपलब्ध कराने गये अधिलेख, धूमि,अवकाश, कर्मीकर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में धूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्ज ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सैतकर)

सचिव

पू०सं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठानः

प्रधानाचार्य, निदेशक, BANARA'S INSTITUTE OF PHARMACY, NIBAH, BABATPUR, VARANASI-  
221204.



(सुनील कुमार सैतकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/10733

लखनऊ: दिनांक: 15/12/2022

सम्बन्धित तथ्य:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कर्नाटी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु विज्ञानोत्सा सत्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघातित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, परीक्षा समता इति सहीत अन्य सही पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिमे गर्ग निगम के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित परीक्षा समता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4051-BANARA'S INSTITUTE OF PHARMACY

क्र/सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा समता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा समता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1982, विनियमसूची-2000, सेमेस्टर विनियमसूची-2016 तथा लखनऊ समय पर निर्गत धारणापत्रों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु, ₹0-30,50,00/- प्रतिवर्ष, छह वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु, ₹0- 45,000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा छह वर्षीय पाठ्यक्रमों (छह वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22,500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तविक

प्राप्त होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा सदि सं 2023-23 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, ता कीस की तय्यतम ही लागू होगी।

- ✓ संस्था से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन जारी की हो प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट साख्तनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट विधि/निबन्धी/अधिनियमी/साख्तनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उपाय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा बजट में नये विषयों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विषय सदि कोई बड़ घास-किसा जाता है तथा दूसर बड़ के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्दिष्ट किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तदनुस द्वारा बजट वर्ष प्रवेश हेतु अन्याजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) संबंधी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट साख्तनादेश आदेश विषयों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक रूचि भूमि, स्टॉल, सभ, सज्ज, उपकरण, धन्य किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/अधिधन हेतु उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराने के लक्ष्य रणिय रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पर्यायित/संघालित पाठ्यक्रम का पालन करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने लगे अभिलेख, भूमि/भवन, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का सदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त होने जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के समकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले अथवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले की स्थिति में निगमानुसार अनुशासनवात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एनएचआरओ खान)

सचिव

पू0सं0- प्रविधिपरिषद संख्या/2022/10734-10769

दिनांक: 16/12/2022

पतिविक्रि

प्रधानाचार्य, निदेशक BANARA'S INSTITUTE OF PHARMACY



(एनएचआरओ खान)

सचिव

अर्जात्मक

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सचनक

संख्या: प्राशिक्षापरिषद/सन्वद्धता/2023/1209/0001

सचनक दिनांक: 12-09-2023

अर्जात्मक रूप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कर्नाटी काउन्सिल ऑफ इडिगा, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से स्थापित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सचनक से सन्वद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कसबा, दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद अर्जात्मक से सन्वद्धता समिति को बैठक संवन्ध हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कर्नाटी काउन्सिल ऑफ इडिगा, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सन्वद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सन्वद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सन्वद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सचनक द्वारा सत्र 2023-24 हेतु मिन्युडियल स्ली के अर्जात्मक पर्यवेक्षण एवं उसमें अखिल प्रदेश समस्त हेतु सन्वद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं नाम : 4051 BANARAS INSTITUTE OF PHARMACY			
क्र.सं.	सन्वद्धता का स्तर	संस्था/संस्थाओं की संख्या हेतु अनुमोदन वर्ष सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन वर्ष सत्र	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन वर्ष सत्र
II	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

सन्वद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुक्रम-3 कसबा प्रदेश समस्त के पत्र संख्या 311-15-3099/4/2022 दिनांक-4 दिसंबर 15 सत्र 2023 द्वारा पूर्व से स्थापित संस्थाओं की ओर से विस्तृत आन्वेषिक पर्यवेक्षण से अर्जात्मक रिपोर्ट अर्जात्मक संख्या 5027/2023 में आन्वेषिक पर्यवेक्षण के अर्जात्मक निर्णय के अर्जात्मक संवद्धता विस्तार की जाती है।
- ✓ कसबा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कर्नाटी काउन्सिल ऑफ इडिगा, नई दिल्ली द्वारा विद्यार्थियों को लगे सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कर्नाटी काउन्सिल ऑफ इडिगा, नई दिल्ली के संवक के अनुक्रम संवक में कसबा संवक (इंजि. संवक, जीक उपसंवक) लगे उपसंवक है।
- ✓ कसबा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विद्यार्थियों (1992, विद्यार्थियों-2008, संवक विद्यार्थियों-2016 तथा संवक-संवक पर निर्णय आन्वेषिकों का अनुक्रम करनी तथा हुक विधान समिति द्वारा

विधायक शुक की प्रत्येक कार्यवाही में उत्तर देना। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यवाही में शुक के सम्बन्ध में उत्तर-सूचना पर भारत द्वारा विचार किये जाने वाले आश्वासन प्रमाण होने। और संसदवादी कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। और विधायक समिति द्वारा यदि वर्ष 2022-24 हेतु जेफ का अनुसंधान किया गया है। जो जेफ की स्वीकृति ही प्राप्त होगी।

- ✓ संस्था में संसदवादी प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश देना आवश्यक।
- ✓ संस्था को भारत-भारत पर विदेशी संस्थानों के अनुसंधान विभाग एवं सम्बन्धन शुक क्या करने होगा।
- ✓ संस्थात उत्तर प्रदेश भारत द्वारा विदेश विदेशि विभाग/अधिवेशन कार्यवाही/विदेशी एवं विदेशी आर्थिक विभाग, 2022, संसदवादी प्रवेश परीक्षा परीक्षा, 2022 तथा आर्थिक विभाग परीक्षा 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त विदेशी विभाग/अर्थिक विभाग का प्राप्ति करने के लिए कार्यवाही है।
- ✓ यदि संस्था का अग्रिम भारतीय संसदीय विभाग परीक्षा/प्रवेशी कार्यवाही और प्रवेश, यह विभाग में अनुसंधान प्राप्त किया जाता है तो इन प्रवेश ही भारत सरकार/विदेश संस्था का होगा और विदेश पर में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था एवं उत्तरदायी होगी। आर्थिक विभाग परीक्षा, संसदवादी प्रवेश परीक्षा परीक्षा, आर्थिक विभाग विदेशांतर पर आर्थिक विभाग विभाग उत्तर प्रदेश भारत के विदेश यदि कोई बात प्रदान किया जाता है तथा प्रदान करने के प्रवेश में ही, प्रदानाकर द्वारा किसी प्रकार की अनुसंधान संस्था अर्थिक विभाग किया जाता है तो भारत अनुसंधान विभाग परीक्षा का प्रदान होगी।
- ✓ संस्थाओं को संसदवादी प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश संसदवादी द्वारा प्रवेश एवं के लिए अनुसंधान प्रवेश परीक्षा हेतु अनुसंधानित प्रवेश होने के लिए अग्रिम भारतीय संसदीय विभाग परीक्षा/प्रवेशी कार्यवाही और प्रवेश, यह विभाग में अनुसंधान प्राप्त एवं परीक्षा कार्यवाही में उत्तरदायी करना होगा। प्रवेश एवं प्रवेश की अनुसंधान प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु उत्तर-भारत पर विदेशी स्वीकृति प्रदान करने का अनुसंधान प्रदान कार्यवाही होगा।
- ✓ संस्था को अपने विश्वविद्यालय आर्थिक विभाग के अनुसंधान प्रवेश पर संस्था की भारत-भारत और संस्था की आर्थिक विभाग प्रवेश प्रदान, उत्तर-भारत, उत्तर-भारत, उत्तर किया जाने क्या शुक, प्रदानाकर प्रवेश एवं के लिए उत्तरदायी करना होगा।
- ✓ संस्था को विभाग/विभाग हेतु अनुसंधान कार्यवाही उत्तरदायी प्रवेश के लिए विदेश प्रवेश के सम्बन्ध में भारत सरकार/विदेशी अनुसंधान प्रदान होगी।
- ✓ संस्था वह अनुसंधान का वे कि संस्था में अनुसंधान/अनुसंधान अनुसंधान को प्राप्त करने हेतु विभाग विभाग के उत्तरदायी उत्तरदायी उत्तरदायी, अनुसंधान, उत्तरदायी, उत्तरदायी प्रदान का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य अनुसंधान के उत्तरदायी में प्रदान किया जाता है और परीक्षा को प्रदान प्रदान होगी है कि संस्था उत्तरदायी का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए का रही है तो उत्तरदायी संस्था की अनुसंधान प्रदान किंव उत्तर की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश आर्थिक विभाग (अर्थिक और अनुसंधान, उत्तरदायी का सम्बन्ध किया जाता) विभाग/विभाग, 2022 के विभाग/विभाग परीक्षा में प्राप्त एवं अपने अनुसंधान, प्रवेश और प्रवेश को परीक्षा में प्रवेश के उत्तरदायी के लिए परीक्षा के अनुसंधान में प्रवेश।
- ✓ संस्था के अर्थिक अनुसंधान विभाग के प्रवेश यदि संस्था में प्रवेश, प्रवेश, प्रवेश/विभाग, उत्तरदायी एवं प्रवेश प्रदान/विभाग 2022/अर्थिक विभाग के अनुसंधान प्रदान प्रवेश प्रदान प्रदान है तो संस्था की अनुसंधान प्रदान का ही जायेगी।
- ✓ अनुसंधान प्रवेश का अनुसंधान व प्रवेश प्रदान प्रवेश का उत्तरदायी प्रवेश करने की विधि में विभाग/विभाग अनुसंधान/विभाग प्रवेश/विभाग प्रवेश प्रदान।



(अर्जुन कुमार सिन्हा)

सचिव



पु०सं०- प्राशिप/परिषद सञ्चदता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठानः

प्रधानाचार्य/निदेशक BANARAS INSTITUTE OF PHARMACY



अजय कुमार मिश्र

सचिव